न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 73/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00211

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. छगनदास पुत्र स्व. ओगडदास जाति वैष्णव निवासी देसूरी जिला पाली

1. श्रीमति सरोज पत्नी बाबुदास वैष्णव कुम्हारों का चौराहा, देसूरी
2. मोतीलाल पुत्र हीरा सिरवी सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. पंवार
अप्रार्थी की और से श्री मदनदास वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 4-1-21

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 38 मिसल संख्या 93/2010–2011 दायरा दिनाँक 23.09.2010 आदेश दिनाँक 09.02.2013 बुक संख्या 5 संकल्प संख्या 11 दिनाँक 02.02.2013 को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत की गई है। निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस प्रार्थी छगनदास के अधिवक्ता ने कथन किया कि जैर निगरानी आराजी छगनदास के पिता ओगडदास पुत्र चैनदास जी वैष्णव की स्वअर्जित थी जिसका वसियत नामा दिनाँक 21.01.2003 को उनके द्वारा प्रार्थी श्री छगनदास पुत्र ओगड़दास के पक्ष में किया गया उससे जैर निगरानी आवासीय पक्का मकान व देसूरी स्थित खसरा नम्बर 2157 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि का 50 रू को नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निस्पादित किया गया है। जो नोटेरी से तस्दीक सुदा है। ओगड़दास जी के देहान्त उपरान्त उक्त वसीयत नामा प्रभाव में आया तत्पश्चात एक फर्जी वसीयत स्व. ओगड़दास जी की पत्नी व प्रार्थी की माता नैनु बाई से अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति ने अपने पक्ष में करवा कर सरपंच से मिलावट कर उक्त अवासीय मकान का जैर निगरानी फर्जी पट्टा बनवाकर पंजीयन 26.05.2004 को करा दिया जो निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा इस बाबत अप्रार्थी को नोटिस भी अपने अधिवक्ता के मार्फत दिया व उसके जवाब की फोटो प्रति भी संलगन पत्रावली है। तथा मकान में दरवाजा निकाला उसका अपराधिक प्रकरण नैनू देवी द्वारा दर्ज कराया गया बताते हुए वसीयत के फर्जी होने बाबत तथ्य पेश किए तथा आक्षेप पत्र संख्या 67/4.10.2007 की प्रति भी पेश की गई। तथा जिसका चालान सिविल न्यायालय(क.ख.) देसूरी में पेश किया [illegible] भी पेश की गई। जिनके मध्यनजर नैनूदवी द्वारा [illegible] जैर निगरानी पट्टा खारिज कराने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rai
Date: 2021.03.05 19:43:48 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाली [illegible] के प्रकरण संख्या 57/08 की आदेशिकाओं की प्रति एवं उक्त न्यायालय [illegible] 1 से 5 विवाधक तय किए उनकी प्रतिलिपी की फोटोप्रति भी पेश की एवं उनके द्वारा जो जबाब पेश किया उसकी एक प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि यह प्रकरण श्रीमान के समक्ष अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रस्तुत हुआ है जिसके तहत प्रस्तुत उक्त निगरानी में मात्र ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के नियम 144 से 157 तक की पालना की

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश:......................2

गई अथवा नहीं । यह समीक्षा कीए जाने के प्रावधान है करने का नहीं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी में एवं बहस में पट्टे की प्रक्रिया सम्बन्धी अथवा पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई इस बाबत किसी प्रकार का कथन नहीं किया है मात्र स्वामित्व तय करने सम्बन्धी बिन्दुओं का उल्लेख किया है ऐसी स्थिति में इस निगरानी के तहत इस न्यायालय द्वारा स्वामित्व अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है मकान के हक अधिकार सम्बन्धी प्रकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाली, केम्प देसूरी में प्रकरण संख्या 57/2008 अनवान छगनदास बनाम बाबूदास विचाराधीन है जिसके विवाधक भी तय किए जा चूके है उसमें जो निर्णय पारित किया जायेगा वही उभयपक्ष के लिए विधीसम्मत होगा। एसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी पट्टा जारी करते समय नियमों की पालना नहीं की गई इससे सम्बन्धित न होकर स्वामित्व की घोषणा सम्बन्धी तथ्य उल्लेखित होने से तथा उक्त निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत नियमों की पालना की समीक्षा करने बाबत नहीं होने से निगरानी खारिज फरमावे।

उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई उसमें ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा पट्टा जारी करते समय किन–किन नियमों की पालना नहीं की गई यह कही भी उल्लेखित नहीं किया है न ही कही नियमों सम्बन्धी अनियमितता का प्रश्न उठाया है। स्व. ओगड़दास द्वारा प्रार्थी के हक में निस्पादित वसियत सही होने तथा स्व. ओगड़दास की पत्नी नैनू बाई द्वारा कराई गई वसियत गलत एवं फर्जी होने बाबत कथन किए है उक्त दोनों वसीयतों के बाबत सही व फर्जी होने बाबत अथवा मकान के स्वामित्व बाबत विचार राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत नहीं किया जा सकता है न ही इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह विचारण करना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 144 से 157 तक में है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा किसी प्रकार की अनियमितता होने को लेकर प्रश्नगत नहीं किया गया है जिससे उसकी समीक्षा पंचायत रेकर्ड से की जा सके। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी बल हीन सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 93/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2013 एवं संकल्प संख्या 11 दिनाँक 02.02.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 38/26.02.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 4-1-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:48 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली